Sent thgh E-mail / Post

RKVY

राजस्थान सरकार

निदेशालय गोपालन

पशुधन भवन परिसर, टोंक रोड़, जयपुर–302015

Phone :- 0141-2740819, 2740519, 2740613 Fax :- 2740613 email:- dir.dgs@rajasthan.gov.in

क्रमांकः– एफ.वी.4(04) / निगो / प्लान / आर.के.वी.वाई. / 2014–15–II / 8589–95 दिनांकः– 4/9/17

अतिरिक्त निदेशक,
पशुपालन विभाग,
कोटा, उदयपुर, बीकानेर, अजमेर,
भरतपुर, जयपुर, जोधपुर।

विषय :– सघन सांड पंजीकरण अभियान दिनांक 25.08.2017 से 25.09.2017 के क्रम में।

प्रसंग :– इस कार्यालय का पूर्व पत्रांक 7031–42 दिनांक 14.07.2017 एवं पत्रांक 8041–52 दिनांक 18.08.2017.

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासांगिक पत्रों के क्रम में लेख है कि **सांड पंजीकरण कार्यक्रम को सघन अभियान के रूप में दिनांक 25.08.2017 से 25.09.2017 तक चलाया जा रहा है।** इस क्रम में समस्त निर्देश पूर्व में दिये जा चुके है जो निदेशालय गोपालन की वेबसाइट पर देखे जा सकते है। पंजीकरण हेतु आपके स्तर पर निरन्तर पर्यवेक्षण कर आपके क्षेत्र में आवंटित लक्ष्यों की पूर्ति करवाना आपका दायित्व है। अतः कृपया कार्यक्रम से सम्बन्धित निम्न बिन्दुओं के सम्बन्ध में कार्यवाही करवाया जाना सुनिश्चित करावे :–

1. संयुक्त निदेशक कार्यालय के एक अधिकारी को उक्त योजना में नोडल अधिकारी नियुक्त कर उसका नाम एवं मोबाइल नम्बर निदेशालय गोपालन को भिजवाया जाना।
2. कार्यक्रम अनुसार पंजीकृत गौशालाओं / पुनर्वास केन्द्र इत्यादि में पंजीकरण योग्य उन्नत नस्ल के सांड को चिन्हित कर सूची निश्चित समयावधि में संयुक्त निदेशक के माध्यम से रोग निदान केन्द्रों तक पहुंचाना सुनिश्चित करे जिससे पंजीकरण योग्य सांडों की एस.टी.डी. जांच होने के उपरान्त रिपोर्ट Negative होने की स्थिति में पंजीकरण एवं बीमा करवाया जा सके।
3. पिछले 2 वर्षों में पंजीकृत एवं बीमित सांडों के क्लेम के सम्बन्ध में सूचना। (निदेशालय का ई–मेल 8306–15 / 22.08.2017)।
4. पिछले 3 वर्षों में क्रय किये गये केस्ट्रेटर की सूचना एवं वर्ष 2017–18 हेतु मांग तत्काल भिजवाना। (निदेशालय का ई–मेल 8127–34 / 21.08.2017)।

पंजीकरण अभियान के संबंध में समस्त जिला संयुक्त निदेशकों एवं रोग निदान केन्द्रों को राशि जारी की जा रही है। **अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि उक्त अभियान को सफल बनाया जाना सुनिश्चित करे।**

निदेशक

क्रमांकः– एफ.वी.4(04) / निगो / प्लान / आर.के.वी.वाई. / 2014–15–II / दिनांकः–

प्रतिलिपि :– सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

1. निजी सचिव, शासन सचिव, पशुपालन, मत्स्य एवं गोपालन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. शासन उप सचिव, गोपालन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. निदेशक, पशुपालन विभाग, राजस्थान, जयपुर।

निदेशक

Pen Drive/ RKVY Letter 69